

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत श्री राकेश कुमार जैन, व्याख्याता-गणित, राउमावि, अकबरपुर, अलवर (215679) के स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम -50(1) के प्रावधानानुसार उक्त कार्मिक की 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करने पर, उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से उक्त कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है—

| क्रम संख्या | व्याख्याता का नाम मय पदस्थापन स्थान                            | व्याख्याता विषय | जन्मतिथि   | राजकीय सेवा में नियुक्ति तिथि | वांछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                                              | 3               | 4          | 5                             | 6                                  |
| 1           | राकेश कुमार जैन<br>(RJAL199002011063)<br>राउमावि अकबरपुर, अलवर | गणित            | 04-02-1964 | 31-01-1990                    | 01-08-2023                         |

- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाहियां करें।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।  
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री राकेश कुमार जैन के विरुद्ध आदेश जारी होने की दिनांक तक :-
  - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
  - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
  - कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)  
IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/स्वै.से.नि./2023

दिनांक:- 21/07/2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
- प्रधानाचार्य, राउमावि अकबरपुर, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का पचास रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग/ओएसी अनुभाग।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.07.20 22:19:01 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4332923

